प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.02.2026

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

▶️ **थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 ट्रक में लादकर बिहार राज्य परिवहन की जा रही 448 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

▶️ **बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रुपए।**

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर अनिल कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक-09.02.2026 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा पचफेडवा बाजार में संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी की तरफ से रिंग रोड से होते हुये एक व्यक्ति ट्रक से अवैध शराब लेकर चन्दौली होते हुये बिहार जाने वाला है। उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस टीम द्वारा तत्काल पचफेडवा स्थित रिंग रोड के ओवर ब्रिज के पास पहुंच कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि कुछ देर पश्चात 01 ट्रक वाहन संख्या UP50CT1544 के नजदीक आने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया तो ट्रक चालक ट्रक को तेजी से लेकर भागना चाहा जिसे वहां मौजूद पुलिस टीम द्वारा सिखलाये गये तरीके से कुछ दूरी पर ही रुकवा लिया गया। ट्रक वाहन को रुकवा कर चालक को पकड़ लिया गया। वाहन चालक से ट्रक के ड्राईवर केविन के रैक को खुलवाकर चेक किया गया तो उसमे से 10 पेटी रॉयल स्टैग 120 बॉटल शराब प्रत्येक 750 ML, 10 पेटी रॉयल स्टैग 240 बॉटल शराब प्रत्येक 375 ML व 31 पेटी 8 PM 1488 टेट्रा पैक शराब प्रत्येक 180 ML कुल मात्रा 448 लीटर शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान 1.जुगनू यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी सोनवरसा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष के रुप में हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0स0-83/2026 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ गिरफ्तार अभियुक्तगण-
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै अवैध शराब को आजमगढ से ट्रक में लादकर बिहार ले जा रहा था। जहां शराब को उचे दामों पर बेचकर अच्छा मुनाफा हो जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–
1.जुगनू यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी सोनवरसा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1-मु.अ.सं. 83/2026 धारा 60/63 आबकारी अधीनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1.एक ट्रक वाहन संख्या UP50CT1544

2.10 पेटी रॉयल स्टैग 120 बॉटल शराब प्रत्येक 750 ML ,10 पेटी रॉयल स्टैग 240 बॉटल शराब प्रत्येक 375 ML व 31 पेटी 8 PM 1488 टेट्रा पैक शराब प्रत्येक 180 ML कुल मात्रा 448 लीटर जिसकी कीमत करीब 5,00,000/- रुपये

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 अनिल कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 आशुतोष कुमार गुप्ता थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

4.उ0नि0 अमित सेन सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

5.हे0का0 इन्द्रजीत यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

थाना बलुआ जनपद चंदौली

🔷 **थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा 25000/- रूपये इनामिया 01 शातिर अन्तर्राज्यीय गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार**

🔷 **गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जें से 01 अवैध असलहा व एक जिन्दा कारतूस बरामद**

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा वारण्टी व वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, स्नेहा तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बलुआ अतुल कुमार के नेतृत्व में दिनांक 09.02.2026 को थाना बलुआ पुलिस द्वारा एक 25000/- रूपये के इनामिया वांछित अन्तर्राज्यीय गोतस्कर गणेश उर्फ कंशी पुत्र लालजी राम निवासी ग्राम करजरा थाना धीना जनपद चन्दौली को टेढी पुलिया वहद ग्राम सराय के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जें से एक अवैध असलहा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0- 34/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह लोगों को धमकाने व धौंस जमाने तथा गोतस्करी के दौरान सुरक्षा हेतु अवैध असलहा व कारतूस अपने पास रखता था। उक्त अवैध असलहा व कारतूस उसने बिहार में एक अज्ञात व्यक्ति से बिना किसी कागजात के खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-
1.गणेश उर्फ कंशी उर्फ मंगरू पुत्र लालजी राम निवासी ग्राम करजरा थाना धीना जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण:-
1.01 अवैध असलहा 12 बोर
2.01 अवैध जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 259/25 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 109(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2.मु0अ0सं0- 34/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-
1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली,

2.उ0नि0 रविकान्त चौहान थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.हे0का0 कादिर खान थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4.का0 रोहित यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली